सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 24, सोमवार, *शाके* 1943–जून 14, 2021 *Jyaistha 24, Monday, Saka 1943- June 14, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-II

अधिसूचना

जयपुर, जून 12, 2021

एस.ओ.555 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन.- राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 10 के परन्तुक (xvii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 के प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष ग्रुप-ख में, विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

4.	कंपाउंडर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड	100% सीधी भर्ती द्वारा, जिसमें से 10% विभागीय कर्मचारियों में से।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एससी. (आयुर्वेद नर्सिंग), साथ में इन्टर्नशिप।	-	-

"

[सं. एफ.2(6)डीओपी/ए-II/90]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-GR.II

NOTIFICATION

Jaipur, June 12, 2021

S.O.555 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 10.- In proviso (xvii) to rule 10 of the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "National Rural Health Mission", the expression "National Health Mission, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur or any Ayush Project in the State of Rajasthan run by the Government" shall be substituted.

3. Amendment of rule 19.- In first proviso to rule 19 of the said rules, for the existing expression "National Rural Health Mission", the expression "National Health Mission, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur or any Ayush Project in the State of Rajasthan run by the Government" shall be substituted.

4. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules, under head Group-B, the existing serial number 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

4.	Compounder / Nurse Junior Grade	100% by direct recruitment out of which 10% from departmental employees.	Three years Diploma in Ayurveda Nursing or Four Years B.Sc. (Ayurved Nursing) with Internship from a University established by law in India.	-	-

"

[F.No. 2(6)/DOP/A-II/90]

By order and in the name of the Governor,

JAI SINGH,

JOINT SECRETARY OF THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.